संख्या 13026/1/2010-स्था. (छुट्टी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नई दिल्ली, दिनांक 7th फरवरी, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- अर्जित छुट्टी (ई.एल) और अर्ध वेतन छुट्टी (एच.पी.एल) की हकदारी की गणना की दर ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी ऐसे सरकारी सेवक जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है, उनकी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 27(2) (बी) के अंतर्गत अर्जित छुट्टी और नियम 29(2)(सी) के अंतर्गत अर्ध वेतन छुट्टी की हकदारी इस विभाग के विचाराधीन रही है ।

2. इस समय नियम 27(2)(बी) यह कहता है 'जब किसी सरकारी सेवक को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे 2 ½ दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्जित छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी ।'

इसी प्रकार, नियम 29(सी) कहता है 'जब किसी सरकारी सेवक को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे 5/3 प्रतिदिन प्रति पूर्ण कैलेन्डर माह की दर से, जिस कैलेन्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक की अर्धवेतन छुट्टी की क्रेडिट उसे दी जाएगी ।'

3. ये नियम ऐसे मामलों में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जहां सेवारत सरकारी नौकर की मृत्यु महीने के अंतिम दिन में हो जाती है क्योंकि उसकी मृत्यु की तारीख को उसका अंतिम कार्य दिवस माना जाता है । केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली के नियम 27 के उप नियम (2) के क्लॉज (बी) और नियम 29 के उप नियम (2) के क्लॉज (सी) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है

नियम 27(2)(बी) 'जब किसी सरकारी नौकर को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है तो उसे 2½ दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्जित छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी । यदि सेवा में रहते हुए किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2½ दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से मृत्यु की तारीख तक अर्जित छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी ।'

नियम 29(2)(सी) 'यदि किसी सरकारी नौकर को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसे 5/3 प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्ध वेतन छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी । यदि सेवा में रहते हुए किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5/3 दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से मृत्यु की तारीख तक अर्ध वेतन छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी ।'

4. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

5 जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

जोया सी.बी.

(ज़ोया सी.बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार) ।

संख्या 13026/1/2010-स्था.(छुट्टी) नई दिल्ली, दिनांक 7th फरवरी, 2011

प्रति अग्रेषित -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ।
3. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
4. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव।
5. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य-क्षेत्र ।
6. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य-क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद, जेसीएम (स्टाफ पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद् के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उद्यम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
11. रेल बोर्ड, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/निदेशक(स्थापना-I)
13. ~~50 अतिरिक्त प्रतियां~~ ।

(ज़ोया सी.बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार